

## पर्यटन के लिए अवसंरचना विकास निवेश कार्यक्रम (परियोजना ३)

### हिमाचल प्रदेश राज्य

पर्यावरण आकलन दस्तावेज


### **प्रारंभिक पर्यावरणीय परीक्षा**

एडीबी ऋण संख्या ३२२३-IND

परियोजना संख्या: ४०६४८

अंश ३

**उप-परियोजना - मार्कण्डेय मंदिर, बिलासपुर के प्रांगण के  
कायाकल्प और आगंतुकों की सुविधाओं के हेतु प्रावधान (पैकेज  
संख्या एचपीटीडीबी/ ११/१)**



सितंबर २०१६

हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा तैयार

यह आईईई उधारकर्ता का दस्तावेज है। यह जरूरी नहीं की इसमें व्यक्त विचार एडीबी के निदेशक मंडल, प्रबंधन या कर्मचारियों के हो।

## कार्यकारी सारांश

१. **पृष्ठभूमि:** पर्यटन वित्तपोषण सुविधा (सुविधा) के लिए बुनियादी ढांचा विकास निवेश कार्यक्रम हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड और तमिलनाडु के चार भाग लेने वाले राज्यों में बुनियादी शहरी ढांचे और सेवाओं का विकास और सुधार करेगा, जो आर्थिक विकास के लिए प्रमुख चालक के रूप में पर्यटन क्षेत्र का समर्थन करेगा। इस कार्यक्रम में निम्नलिखित बातों पर ध्यान दिया जाएगा:
  - (१) प्रमुख पर्यटन स्थलों के बीच संपर्क को मजबूत करना।
  - (२) बुनियादी शहरी ढांचे और सेवाओं में सुधार करना, जैसे कि पानी की आपूर्ति, सड़क और सार्वजनिक परिवहन, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और मौजूदा और उभरते पर्यटन स्थलों पर पर्यावरण में सुधार, ताकि आगंतुकों के लिए शहरी सुविधाएं और सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके और प्रकृति और संस्कृति-आधारित आकर्षणों की रक्षा की जा सके।
  - (३) पर्यटन स्थलों के बेहतर प्रबंधन के लिए संबंधित क्षेत्र की एजेंसियों और स्थानीय समुदायों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम, और क्रमशः पर्यटन से संबंधित आर्थिक गतिविधियों में अधिक सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना।
२. **मार्कंडेय जी:** मंदिर एक सुंदर स्थान पर स्थित है, जिसे मार्कंडेय के नाम से जाना जाता है, जिसका नाम प्रसिद्ध ऋषि मार्कंडेय के नाम पर रखा गया है। यह मंदिर बहुत महत्व रखता है, विशेषकर निःसंतान दंपतियों के बीच। मार्कण्डेय बिलासपुर से घाघस-ब्रह्मपुखर मार्ग पर लगभग २० किलोमीटर दूर एक खूबसूरत जगह है। बिलासपुर ३१°२०'N और ७६°४५'E, ३१. ३३°N और ७६.७५°E पर स्थित है। इसकी औसत ऊंचाई ६७३ मीटर (२२०८ फीट) है। यह बंदला पहाड़ियों के तल पर स्थित है, यह सतलुज नदी पर गोविंद सागर के जलाशय के पास स्थित है। मनाली के रास्ते हिमाचल में प्रवेश करने के बाद यह पहला प्रमुख शहर है।
३. **निष्पादन और कार्यान्वयन एजेंसियां:** निष्पादन एजेंसी, पर्यटन और नागरिक उड्डयन, हिमाचल प्रदेश का एक विभाग है। परियोजना प्रबंधन इकाई (पीएमयू) की स्थापना शिमला में समग्र निष्पादन को समन्वित करने के लिए की गई है। शिमला में परियोजना प्रबंधन सलाहकार (पीएमसी) निष्पादन में पीएमयू को सहायता प्रदान करता है। कार्यान्वयन एजेंसी परियोजना कार्यान्वयन इकाई (पीआईयू) कुल्लू है, जिसे डिजाइन पर्यवेक्षण सलाहकार (डीएससी) द्वारा समर्थित किया जाना है। उप-परियोजना के पूरा होने के बाद लाइन एजेंसियां (मंदिर ट्रस्ट) संपत्ति के मालिक होंगे। उक्त परियोजना के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र खरीद लिया गया है और प्रधान, श्री मार्कण्डेय प्रबंधक आवाम विकास समिति, बिलासपुर द्वारा एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए हैं।
४. **वर्गीकरण:** बिलासपुर मार्कंडेय मंदिर उप-परियोजना पैकेज एचपीटीडीबी/११/१ को एसपीएस २००९ के अनुसार पर्यावरण श्रेणी बी के रूप में वर्गीकृत किया गया है क्योंकि यहाँ पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव की कल्पना नहीं की गई है। तदनुसार यह प्रारंभिक पर्यावरणीय परीक्षा (आईईई ) तैयार की गई है जो पर्यावरणीय प्रभावों

का आकलन करती है और यह सुनिश्चित करती है कि शमन और नियंत्रण उपायों को प्रदान करके सबप्रोजेक्ट के परिणामस्वरूप कोई महत्वपूर्ण प्रभाव न हो।

५. **उप-परियोजना दायरा:** विस्तृत परियोजना रिपोर्ट डीपीआर के अनुसार इस उप-परियोजना (पैकेज संख्या एचपीटीडीबी/११/१) का प्रमुख दायरा: (१) संपूर्ण मंदिर की सतह के सुधार की तरह, सार्वजनिक सुविधाओं के प्रावधान आदि का उन्नयन (२) गुफ़ा की बहाली (३) आगंतुक सुविधाओं की व्यवस्था जैसे संकेत, रेलिंग आदि की स्थापना है।
६. **पर्यावरण का वर्णन:** उप-परियोजना घटक बिलासपुर नगर क्षेत्र में या इसके आसपास के क्षेत्र में स्थित हैं जो कई वर्षों पहले कृषि और शहरी उपयोग में परिवर्तित हो गए थे और इन स्थलों पर कोई प्राकृतिक आवास नहीं बचा है। उप-परियोजना स्थानों में या उसके आस-पास कोई संरक्षित क्षेत्र, आर्द्रभूमि, मैंग्रोव या मुहाना नहीं हैं।
७. **पर्यावरण प्रबंधन:** एक पर्यावरण प्रबंधन योजना (ईएमपी) को आईईई के भाग के रूप में शामिल किया गया है, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं (१) कार्यान्वयन के दौरान पर्यावरणीय प्रभावों के लिए शमन उपाय; (२) एक पर्यावरण निगरानी कार्यक्रम, और शमन, निगरानी और रिपोर्टिंग के लिए जिम्मेदार संस्थाएँ; (३) सार्वजनिक परामर्श और सूचना प्रकटीकरण; और (४) शिकायत निवारण तंत्र। डिजाइनों में संशोधन करके कई प्रभावों और उनके महत्व को पहले ही कम कर दिया गया है। ईएमपी को सिविल वर्क बिडिंग और अनुबंध दस्तावेजों में शामिल किया जाएगा।
८. **प्रभावों को कम करने के लिए प्रस्तावित अवसंरचनाओं के स्थान और स्थलों पर विचार किया गया है।** प्रस्तावित उप-परियोजना के डिजाइन में निम्नलिखित अवधारणाएं पर विचार किया गया है (१) डिजाइन, सामग्री और पैमाने स्थानीय वास्तुशिल्प, भौतिक, सांस्कृतिक और भूनिर्माण तत्वों के अनुरूप होंगी; (२) यथासंभव स्थानीय सामग्री और श्रम के उपयोग को प्राथमिकता दी जाएगी; (३) संरक्षण के लिए, आस-पास के क्षेत्र में उपलब्ध स्थानीय निर्माण सामग्री का यथासंभव उपयोग किया जाएगा; (४) सभी पेंटिंग कार्य (आंतरिक और बाहरी) पर्यावरण के अनुकूल कम वाष्पशील कार्बनिक यौगिक पेंट के साथ होंगे; (५) दीवार की मरम्मत के काम के लिए, स्थानीय कुशल श्रम द्वारा सीमेंट मोर्टार में स्थानीय स्तर पर उपलब्ध पत्थर के साथ यादृच्छिक मलबे की चिनाई का उपयोग किया जाएगा; (६) यदि बैक फिलिंग की आवश्यकता होगी, तो यह साइट से खोदी गई सामग्री द्वारा की जाएगी; और (७) यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि साइट चयन के लिए सभी योजना, डिजाइन और निर्णय सार्वजनिक परामर्श और प्रकटीकरण से इनपुट को प्रतिबिंबित करके और स्थानीय समुदायों के परामर्श से लिए जाएं।
९. निर्माण के चरण के दौरान, वनस्पति के नुकसान का जोखिम मुख्य रूप से बेकार मिट्टी और विध्वंस सामग्री की मात्रा के निपटान की आवश्यकता से उत्पन्न होता है। यह शहरी क्षेत्रों में निर्माण का सबसे आम प्रभाव है, उनके शमन के लिए अच्छी तरह से विकसित तरीकों को लागू किया जाता है। यह अनुशंसा की जाती है कि निर्माण

कार्य ऐसे समय में किए जाएं जब कोई फसल न उगाई जाती है और किसी भी असुविधा को कम करने के लिए सर्वोत्तम निर्माण विधियों को नियोजित किया जाए। परिचालन चरण में, सभी सुविधाएं और बुनियादी ढांचे नियमित रखरखाव के साथ काम करेंगे, जिससे पर्यावरण को कोई प्रभाव नहीं पड़े। मरम्मत का काम भी समय-समय पर किया जाएगा। इस वजह से पर्यावरण पर प्रभाव बहुत कम होगा क्योंकि निर्माण कार्य नियमित नहीं होगा और इस तरह केवल छोटे क्षेत्रों पर असर पड़ेगा।

१०. सभी नकारात्मक प्रभावों को स्वीकार्य स्तर तक कम करने के लिए शमन उपाय विकसित किए गए हैं। निर्माण के दौरान किए जाने वाले पर्यावरण निगरानी के एक कार्यक्रम द्वारा, शमन सुनिश्चित किया जाएगा। पर्यावरण निगरानी कार्यक्रम यह सुनिश्चित करेगा कि सभी उपायों को लागू किया जाए और यह निर्धारित किया जाए कि पर्यावरण अच्छी तरह से संरक्षित है या नहीं। इसमें साइट पर और ऑफ-साइट दस्तावेज़ जांच, श्रमिकों और लाभार्थियों के साथ साक्षात्कार शामिल होंगे। सुधारात्मक कार्रवाई के लिए आवश्यकताओं पर एडीबी को सूचित किया जाएगा।
११. आईईई को हितधारकों द्वारा ऑन- साइट चर्चा और सार्वजनिक परामर्श के माध्यम से विकसित किया गया था। व्यक्त किए गए विचार आईईई में और उप-परियोजना की योजना और विकास में शामिल किए गए थे। आईईई को शहर के सार्वजनिक स्थानों पर उपलब्ध कराया जाएगा जिसके लिए एडीबी और हिमाचल प्रदेश पर्यटन वेबसाइटों का उपयोग किया जाएगा। परियोजना के कार्यान्वयन के दौरान परामर्श प्रक्रिया को जारी रखा जाएगा और उसमें विस्तार किया जाएगा ताकि हितधारक परियोजना में पूरी तरह से व्यस्त रहे तथा इसके विकास और कार्यान्वयन में भाग लेने का पूरा अवसर हो।
१२. बिलासपुर नगर क्षेत्र के नागरिक परियोजना के प्रमुख लाभार्थी होंगे। शहर की आबादी के लिए सबसे अधिक ध्यान देने योग्य पर्यावरणीय लाभ सकारात्मक और बड़े होंगे क्योंकि प्रस्तावित सबप्रोजेक्ट विश्वसनीय और पर्याप्त पर्यटन सुविधाओं तक पहुंचने में सुधार करेगा।
१३. **परामर्श, प्रकटीकरण और शिकायत निवारण:** परियोजना और आईईई की तैयारी में सार्वजनिक परामर्श किया गया था। परियोजना के कार्यान्वयन की अवधि के दौरान भी नियमित परामर्श होंगे। एक शिकायत निवारण तंत्र IEE के भीतर परिभाषित किया गया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि किसी भी सार्वजनिक शिकायतों को जल्दी से दूर किया जाए।
१४. **निगरानी और रिपोर्टिंग:** पर्यावरण निगरानी के लिए पीएमयू, पीआईयू, पीएमसी और डीएससी जिम्मेदार होंगे। डीएससी के साथ समन्वय में पीआईयू पीएमयू को मासिक निगरानी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। इस आधार पर पीएमयू ईएमपी के कार्यान्वयन पर एडीबी को अर्ध वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा, और एडीबी को पर्यावरण समीक्षा मिशनों की अनुमति देगा जो परियोजना के पर्यावरणीय पहलुओं की विस्तार से समीक्षा करेगा। एडीबी अपनी वेबसाइट पर पर्यावरण निगरानी रिपोर्ट पोस्ट करेगा। गंभीर पर्यावरणीय परिणामों वाले किसी भी बड़े

हादसे की सूचना तुरंत दी जाएगी। पीएमसी पर्यावरण विशेषज्ञ पर्यावरण प्रगति रिपोर्ट तैयार करने में मदद करेंगे।

१५. **निष्कर्ष और सुझाव:** प्रस्तावित उप-परियोजना के कारण कोई महत्वपूर्ण और प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। डिजाइन, निर्माण और संचालन से जुड़े संभावित प्रभावों को उचित इंजीनियरिंग डिजाइन और अनुशासित शमन उपायों और प्रक्रियाओं के निगमन या आवेदन के माध्यम से कठिनाई के बिना मानक स्तर तक कम किया जा सकता है। आईईई के निष्कर्षों के आधार पर, उप-परियोजना का कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं होगा क्योंकि यह वर्गीकरण की श्रेणी बी में आता है। कोई और विशेष अध्ययन या विस्तृत पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए), एडीबी एसपीएस-१००९ या भारत सरकार ईआईए अधिसूचना १००६ के अनुपालन के लिए किए जाने की आवश्यकता नहीं है।